<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना बड़ागाँव</u>

<u>डकैती की योजना बनाते हुये 03 शातिर चोर गिरफ्तार</u>

दिनाँक 10.02.2024

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध झाँसी पुलिस द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना बडागांव पुलिस द्वारा सराफा बाजार में डकैती की योजना बनाने के दौरान 03 चोरों को गढ़मऊ रेलवे स्टेशन के आगे टाकोरी क्रासिंग की ओर सड़क किनारे बनी कोठरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण - दिनांक 09.02.2024 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी/डकैती की योजना बनाते हुये 03 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त विशाल कुशवाहा ने बताया कि साहब हम तीनों एवं भागे हुये अरुण और रवि साहू ने मिलकर बडा बाजार स्थित सराफा बाजार में सुनार की दुकान का शटर काटकर डकैती की योजना बनायी थी। अरूण पांचाल 06-07 दिन पहले मुझे किलकारी हास्पिटल के पास मिला था और हम लोगों की दोस्ती हो गयी। फिर हम सभी ने मिलकर सराफा बाजार में दुकान का शटर काटकर चोरी/डकैती करने तथा मिले हुये माल को आपस में बाँट लेने की योजना बनायी।

योजना के अनुसार सोमवार को मैने और अरूण ने सराफा बाजार में जाकर दुकान की रैकी की और एक दुकान चिन्हित कर ली फिर गैस सिलेन्डर और गैस कटर की व्यवस्था करके आज हम सभी लोग घटना कारित करने के लिये जाने वाले थे लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बड़ागाँव पर मु0अ0सं0 26/24 धारा 399/401 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>बरामद माल का विवरणः-</u>

1.एक अदद नाजायज तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2. एक अदद गैस सिलेन्डर 29.08 किग्रा0 मय रेगुलेटर

3.एक अदद आक्सीजन गैस सिलेन्डर लोहा मय रेगुलेटर व दो अदद लाल व नीला रंग का रबड पाईप मय नोज

4. एक अदद सब्बल लोहा

5. एक अदद प्लास

6. एक अदद तार कटर

7. एक अदद पेचकस

8. एक चाभी का गुच्छा

9. दो अदद स्मार्ट मोबाईल फोन

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तः-

1.विशाल कुशवाहा पुत्र उमा रमन कुशवाहा निवासी ग्राम टाकोरी थाना बड़ागाँव झाँसी उम्र करीब 19 वर्ष।

2. विकास विश्वकर्मा पुत्र सरमन विश्वकर्मा निवासी ग्राम टाकोरी थाना बड़ागाँव झांसी उम्र करीब 22 वर्ष।

3. आकाश कुशवाहा पुत्र राम लाल कुशवाहा निवासी वरिया मोहल्ला कोछांभावर थाना नवाबाद झाँसी उम्र करीब 19 वर्ष।

भागे हुए अभियुक्तगण-

1. रविसाहू पुत्र अज्ञात पता जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)।

2. अरूण पांचाल पुत्र अज्ञात नि0गण टीकमगढ (म0प्र0)।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक- गढमऊ रेलवे स्टेशन के आगे सडक के किनारे बनी कोठरी मे बहद ग्राम गढमऊ थाना बड़ागाँव जिला झाँसी। दिनांक 10.02.24 समय 12.05 बजे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. सुरेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष थाना बडागांव जनपद झाँसी।

2.उ0नि0 राजेश कुमार नागर थाना बडागांव जनपद झांसी।

3.उ0नि0 शिव कुमार थाना बडागांव जनपद झांसी।

4.का0 05 सत्यम मिश्रा थाना बडागांव झांसी।

5.का0 1529 प्रदुम्न तिवारी थाना बडागांव झांसी।

6.का0100 चन्द्रशेखर थाना बडागांव झांसी।

7. का0 444 ओंमबीर सिंह(चालक) थाना बडागांव झाँसी।